तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-12-19	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित. वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा॰ का॰ अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी आराजी नं 1204 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा भूमि जो ग्राम केरिया पटवार हल्का केरिया तहसील माण्डल मे स्थित उक्त भूमि मे प्रार्थी के आने जाने हेतु रास्ता विपक्षी सं. 01 लगायत 04 की आराजी नं॰ 2668 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा मे से आराजी सं. 1737 व 1738/1 के मध्य 15 फीट चौडाई का रास्ता कायम करने की ईस्तदुआ की।	
	तहसीलदार माण्डल की मौका रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि उक्त आराजी सं. 2668 मे रास्ता चाहा गया है जो वर्तमान मे अप्रार्थीगण द्वारा डोल डालकर खुर्द-बुर्द किया गया है। व मौके पर रास्ता है किन्तु खुर्द बुर्द किया गया है। रास्ता पूर्व मे चालू था, किन्तु प्रार्थी द्वारा रास्ते के अन्य हिस्से पर मिट्टी डलवाने एव अन्य खेतो के पानी का मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण अप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी सं. 2668 मे तथा अन्य जगह पर खुर्द बुर्द किया गया है।	
	मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार माण्डल की मौका रिपोर्ट पर अध्ययन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा॰ का॰ अधिनियम अस्वीकार योग्य है। अतः	
	:: आदेश ::	
	प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251-A R.T.A. का अस्वीकार किया जाकर तहसीलदार माण्डल को आदेशित किया जाता है कि [illegible] किये गये रास्ते को खुलासा किया जावे। [illegible] निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल [illegible] जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।	
	उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 17:28:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner